संख्या: 606 ई-2/तेरह-2010

प्रेषक,

नेत राम,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,
   प्रवर्तन, उत्तर प्रदेश।

१६८
प्रि / श्री

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:फरवरी 26, 2010

विषय:— **प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि को न रोक पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या—512 ई—2/तेरह-2010, दिनांक 18 फरवरी,2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मिथाईल अल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थों से निर्मित अवैध एवं विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुये, विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं।

2- आप अवगत हैं कि प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से कई व्यक्तियों की मृत्यु का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है। उक्त दिशा—निर्देश के उपरान्त भी विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली कतिपय दुर्घटनायें भी शासन के संज्ञान में आ रही हैं। अतएव इस सम्बन्ध में और भी प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहरीली शराब के सेवन से व्यापक जनहानि को दृष्टिगत रखते हुये, प्रदेश में अवैध मद्य निष्कर्षण व अवैध कच्ची शराब में नशा बढ़ाकर बेचने उद्देश्य से क्लोरल हाइड्रेट, आक्सीटोसिन, यूरिया, नौसादर, मिथाइल अल्कोहल आदि पदार्थ के अपमिश्रण किये जाने के मामलों में कृपया आबकारी अधिनियम की

धारा 60 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा—272 के अन्तर्गत भी कार्यवाही के साथ ही ऐसे प्रकरण में धारा—2/3 गैंगेस्टर अधिनियम में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अर्धशासकीय पत्र संख्या:डीजी—सात—एस—12(18)/ 2007, दिनांक 8.8.2009 द्वारा पुलिस विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4— Excise Manual- Vol.-I, Part-III Chapter-2 के नियम (Rule)—79 के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान वर्णित है -

"Officers of the Excise Department shall co-operate with police officers in the detection and prosecution of Excise offences. Any instance of jealous or obstructive working will be severely punished. Excise Inspectors should take every opportunity of meeting the Police Officer in-charge of stations situated in their respective circle and of discussing informally excise matters with them. Deputy Commissioners in their inspection reports should note how these instructions have been complied with".

उपर्युक्त प्राविधानों के अन्तर्गत भी कड़ाई से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

5— अतः लगातार हो रहे विषाक्त मदिरा काण्ड को रोकने एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विषाक्त मदिरा काण्डों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु उपर्युक्त समस्त निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रदेश स्तर पर भविष्य में होने वाले विषाक्त मदिरा काण्ड के लिए आबकारी विभाग के सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों यथा—संयुक्त आबकारी आयुक्त—जोन्स, उप आबकारी आयुक्त—प्रभार, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त(प्रवर्तन) को भी सीधे उत्तरदायी माना जायेगा।

भवदीय,

(नेतराम)

संख्या - 6[illegible](1) ई-2/तेरह 2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 - प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 - पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3 - आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

([illegible] अली)

उप सचिव।